न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः हरि मोहन मीना, I.A.S.

प्रकरण संख्या –32/2012 (प्रार्थना पत्र)

जी.सी.एम.एस नं0– 2012/00071

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

श्रीराम आत्मज मोतीलाल जाति बंजारा निवासी कसार तहसील लाडपुरा

––अप्रार्थी.

उपस्थित–

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभषक
2. श्री चन्द्र मोहन शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –27/06/2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी आवंटी को ग्राम कसार स्थित खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.00 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत दिनांक 20.7.2002 को आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन के विरूद्व शिकायत होने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि की आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी उद्घोषणा में खसरा नम्बर 1480 के आगे 'उद्योग हेतु प्रस्तावित'' अंकित किया जाने पर भी अप्रार्थी के हक में आवंटन किया गया था । उक्त आवंटन अति0 जिला कलक्टर कोटा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 21/2002 निर्णय दिनांक 25.01.2003 से निरस्त किया गया ।
2. उक्त आदेश दिनांक 25.01.2003 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई, राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.11.2005 से अपील खारिज की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 25.01.2003 बहाल रखा गया ।
3. राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील संख्या एलआर/6075/2005/ निर्णय दिनांक 17.11.2011 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राध्किारी कोटा का निर्णय दिनांक 17.11.2005 एवं न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 25.1.2003 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है कि आवंटन बाबत जारी उद्घोषणा के पश्चात आवंटन की समस्त कार्यवाही की मूल पत्रावलियों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिक परीक्षण करें तथा अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।
4. प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दिनांक 7.5.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रमोहन शर्मा उपस्थत । सम्बन्धित आवंटन पत्रावली एवं उद्घोषण की मूल पत्रावली तलबी हेतु तहसीलदार लाडपुरा एवं उपखण्ड अधिकारी को कई पत्र प्रेषित किये गये, किन्तु उक्त पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हो सकी किन्तु ग्राम कसार में हुए आवंटन से सम्बन्धित शिकायत की अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा की गई जांच की पत्रावली प्राप्त हुई ।
5. तहसीलदार लाडपुरा से वर्तमान कब्जा सम्बन्धी मौका रिपोर्ट रेकार्ड के साथ प्राप्त की गई । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने पत्रांक/4015 दिनांक 13.5.2022 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी श्री राम को दिनांक 20.7.2002 को

जिला कलेक्टर
कोटा

ग्राम कसार के खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.99 हे0 भूमि किस्म बंजड में से 1.00 भूमि का आवंटन किया गया था चूंकि प्रारमिक उद्घोषणा ही दूषित होने से इसके आधार पर किया गया आवंटन सही एवं सुसंगत नहीं है । भूमि आवंटन सम्बन्धी उद्घोषणा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा कमांक/पीए/आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 को जारी की गई थी । दिनांक 2.7.2002 को जारी उद्घोषणा के कम सं0 97 पर खसरा नम्बर 1480 के समक्ष उद्योग हेतु प्रस्तावित शब्द अंकित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि को अंकित उपयोग हेतु प्रस्तावित की जा चुकी थी । मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान में ग्राम कसार के खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.99 हे0 किस्म गै0मु0 चारागाह दर्ज रिकार्ड है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रभावित है । उक्त भूमि श्रीमान जिला कलक्टर कोटा के आदेश कमांक प. 10(17)राजस्व–।।।/03/1126–30 दिनांक 30.01.2003 से किस्म परिवर्तन करते हुए चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश पर नामा0 सं0 604 दिनांक 30.01.2003 से चारागाह दर्ज रेकार्ड की गई । ग्राम कसार के खसरा नं0 1480 रकबा 1.99 हे0 भूमि में से 1.00 हे0 भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह पर आवंटी श्री राम द्वारा काश्त की जा रही है किन्तु भूमि की किस्म चारागाह होने से अतिक्रमी की श्रेणी में आता है । खसरा नम्बर 1480 से 150 मीटर की दूरी पर गोयल वेज ऑयल्स लि0 उद्योग स्थापित होकर संचालित है । जिससे स्पष्ट होता है कि भूमि औद्योगिक क्षैत्र के प्रयोजनार्थ प्रेषित प्रस्ताव उचित एवं सार्थक था । आवंटित भूमि वर्तमान में आवंटी श्रीराम द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है किन्तु भूमि वर्तमान में चारागाह दर्ज रिकॉर्ड होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रभावित होने के कारण उक्त आवंटन विधि सम्मत नहीं है । इसलिए आवंटन निरस्तनीय है ।

6. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम कसार में स्थित भूमियों का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पत्रांक/पीए/आवंटन/24–33 दिनांक 2.7.2002 को उद्घोषण जारी की गई थी तथा आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों की सूची उद्घोषण के संलग्न की गई थी जो पटवारी हल्का द्वारा हस्तलिखित थी उक्त सूची में खसरा नम्बर 1480 के आगे ''उद्योग हेतु प्रस्तावित'' लिखा हुआ था जिस कारण जांच अधिकारी अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना है कि उक्त लिखावट ''उद्योग हेतु प्रस्तावित'' के कारण अप्रार्थी के अलावा अन्य लोगों ने उक्त खसरा नम्बर के आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया, इसके बाद भी आवंटन कमेटी द्वारा उक्त लिखावट को नजर अंदाज कर गलत तरीके से आवंटन कर दिया उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही दूषित होने से निरस्त योग्य ही है । किन्तु तहसीलदार लाडपुरा की वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2022 अनुसार कब्जा काश्त आवंटी अप्रार्थी का ही है किन्तु उक्त भूमि वर्तमान में चारागाह दर्ज होकर धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबन्धित है ।

7. वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी को कृषि कार्य के लिए उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार उद्घोषणा जारी की जाने पर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया था, उक्त भूमि जांच के दौरान उद्घोषण में पटवारी हलका द्वारा खसरा नम्बर 1480 के समक्ष उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा जाने मात्र से जांच अधिकारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है, जबकि आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा नियमित कब्जा काश्त की जा रही है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/2022/4015 दिनांक 13.5.2022 से होती है, रिपोर्ट अनुसार आज भी अप्रार्थी आवंटी द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है । न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 25.01.2003 से आवंटन निरस्त करने के तुरन्त बाद आदेश कमांक प.10(17)राजस्व–।।।/03/1126–30 दिनांक 30.01.2003 से किस्म परिवर्तन करते हुए चारागाह दर्ज करने के आदेश किये गये जबकि निर्णय पारित होने के एक माह अपील अवधि समाप्त होने के बाद ही कोई भी आदेश जारी किया जाना चाहिए । इस प्रकार अप्रार्थी आज भी उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त करने से पुनः आवंटन बहाल कराने का अधिकारी है ।

8. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, एवं पत्रावली का अवलोकन किया । राजस्व मण्डल के रिमाण्ड के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान

जिला कलक्टर
कोटा

किया गया । चूंकि ग्राम कसार में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा कमांक/पीए/आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 से उद्घोषणा जारी की गई, उक्त उद्घोषणा में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों का विवरण अंकित नहीं किया गया अपितु, उद्घोषणा के साथ हस्तलिखित सूची संलग्न की गई थी, उक्त उद्घोषणा की सूची में उक्त खसरा नम्बर 1480 के अतिरिक्त ख0नं0 617, 632, 654, 1427, 1539, 1541 समक्ष "उद्योग हेतु प्रस्तावित" अंकित किया हुआ था, नियमानुसार उद्घोषणा मय सूची का प्रकाशन सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशन कराया गया । किन्तु वक्त आवंटन के आवंटन नियमन कमेटी द्वारा उक्त उद्घोषणा एवं सूची को नहीं देखा गया, बिना उद्घोषणा की सूची को देखे ही उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी के हक में कर दिया गाया । नियमानुसार तो उसी भूमि की उद्घोषणा होनी चहिए जो निर्विवाद हो, धारा 16 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नहीं हो, तथा भूमि अन्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित या प्रस्तावित नहीं हो, यहां इस प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा दी गई सूची में उपखण्ड अधिकारी द्वारा उद्घोषणा सूची में "उद्योग हेतु प्रस्तावित" लिखने के बाद भी आवंटन नियमन कमेटी द्वारा आवंटन कर दिया । जिसकी शिकायत होने पर अति0 जिला कलक्टर कोटा से ग्राम कसार में हुए आवंटन की जांच कराई गई । अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट अर्द्वशासकीय पत्रांक/पीए/एडीएम/2002/861 दिनांक 21.12.2002 को पेश की गई । जांच रिपोर्ट में तथ्य सामने आए है कि उपखण्ड अधिकारी कोटा ने अपने पत्र कमांक/पीए/आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 द्वारा पटवार मण्डल कसार के ग्राम कसार एवं रानक्याखेड्डी की भूमि आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी की थी, जिसमें अन्य नम्बरों के साथ साथ खसरा नम्बर 617, 632, 654, 1427, 1480, 1539, एवं 1541 की भी उद्घोषणा जारी की गई, इन नम्बरों के बाबत उपखण्ड अधिकारी कोटा ने अपने पत्रांक/पीए/1316 दिनांक 1.6.2002 को जिला कलक्टर कोटा को पत्र लिखकर मार्गदर्शन चाहा था कि इन नम्बरों का आवंटन किया जावे अथवा नहीं? क्योंकि ये नम्बर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने बाबत प्रस्ताव भेजे गये है । उपखण्ड अधिकारी कोटा के उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय पत्रांक प. 2(2क)(9)राज0/मु0/।।/02/4382 दिनांक 15.6.2002 द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उपरोक्त भूमियों के आरक्षण की कार्यवाही जेरकार है, अतः आगामी आदेश तक इन भूमियों का आवंटन नहीं किया जावें । इस प्रकार आवंटन पर रोक लगाने के बावजूद भी इन ख0नं0 को उद्घोषणा में सम्मिलित कर लिया गया । जिन खसरा नम्बरान के सामने 'उद्योग हेतु प्रस्तावित' लिखा होने से उन खसरा नम्बरान के बारे में अन्य पात्र व्यक्तियों में यह भ्रम हो गया कि इन खसरा नम्बरान का आवंटन नहीं होना है ऐसे में इन खसरा नम्बरान के आवेदन अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जा सके ओर अप्रार्थी को बिना जांचे नियम विरूद्व आवंटन भी कर दिया गया जबकि अप्रार्थी को आवंटित भूमि (उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा जाने से) आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, ऐसे में हमारा मानना है कि जिन खसरा नम्बरान के आगे "उद्योग हेतु प्रस्तावित" लिखा हुआ था वह खसरा नम्बर उद्घोषणा का हिस्सा ही नहीं माने जा सकते, फिर भी आवंटन उद्घोषणा में संलग्न सूची में प्रतिबन्धित खसरा नम्बरान जो उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा होने के बावजूद आवंटन कर दिये गये । उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आवंटन पर रोक होने तथा भूमि के उद्योग हेतु प्रस्तावित होने के कारण इन खसरा नम्बरों को उद्घोषणा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए था एवं न ही आवंटन करना चाहिए था । अतः किया गया यह आवंटन अवैध एवं गलत है । ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी अति0 जिला कलक्टर कोटा की जांच रिपोर्ट से हम सहमत है ।

इसी प्रकार राजस्व मण्डल अजमेर के रिमाण्ड के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हमने तहसीलदार लाडपुरा से कब्जा एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट एवं रेकार्ड तलब किया गया । मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान में ग्राम कसार के खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.99 हे0 किस्म गै0मु0 चारागाह दर्ज रिकार्ड है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रभावित है । उक्त भूमि श्रीमान जिला कलक्टर कोटा के आदेश कमांक प.10(17)राजस्व–।।।/03/1126–30 दिनांक 30.01.2003 से किस्म परिवर्तन करते हुए चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश पर नामा0 सं0 604 दिनांक 30.01.2003

जिला कलेक्टर
कोटा

से चारागाह दर्ज रेकार्ड की गई । ग्राम कसार के खसरा नं0 1480 रकबा 1.99 हे0 भूमि में से 1.00 हे0 भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह पर आवंटी श्री राम द्वारा काश्त की जा रही है किन्तु भूमि की किस्म चारागाह होने से अतिक्रमी की श्रेणी में आता है । खसरा नम्बर 1480 से 150 मीटर की दूरी पर गोयल वेज ऑयल्स लि0 उद्योग स्थापित होकर संचालित है । जिससे स्पष्ट होता है कि भूमि औद्योगिक क्षैत्र के प्रयोजनार्थ प्रेषित प्रस्ताव उचित एवं सार्थक था । आवंटित भूमि वर्तमान में आवंटी श्रीराम द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है किन्तु भूमि वर्तमान में चारागाह दर्ज रिकॉर्ड होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रभावित होने के कारण उक्त आवंटन विधि सम्मत नहीं है । उक्त भूमि आवंटन हेतु उद्घोषणा की सूची में उद्योग हेतु प्रस्तावित होने से उद्घोषणा का हिस्सा नहीं होने के उपरान्त भी आवंटन किया जाने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही आवंटन संबंधित समस्त कार्यवाही अवैधानिक एवं नियमान्तर्गत नहीं होने है एवं किया गया आवंटन दोषपूर्ण है तथा वर्तमान में भूमि चारागाह दर्ज रिकॉं होने से धारा 16 से प्रभावित होने के कारण आवंटन निरस्तनीय है ।

9. परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम कसार में अप्रार्थी आवंटी के हक में किये गये आवंटन खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.00 हे0 की उद्घोषण के वक्त उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी उद्घोषणा क्रमांक/पीए/आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों की सूची में क्र0सं0 97 पर अंकित खसरा नम्बर 1480 कुल रकबा 1.99 हे0 के सामने उद्योग हेतु प्रस्तावित की जाने, तथा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के आवंटन हेतु जिला कलक्टर कोटा को पत्र क्रमांक/पीए/1316 दिनांक 1.6.2002 प्रेषित कर मार्गदर्शन चाहा था जिस पर जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय पत्रांक प.2 (2क) (9) राज0/ मु0/ ।। /02/4382 दिनांक 15.6.2002 द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि उपरोक्त भूमियों के आरक्षण की कार्यवाही जेरकार है, अतः आगामी आदेश तक इन भूमियों का आवंटन नहीं किया जावें इसके बाद भी अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इसके साथ ही तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार ख्खसरा नम्बर 1480 से 150 मीटर की दूरी पर गोयल वेज ऑयल्स लि0 उद्योग स्थापित होकर संचालित है । जिससे स्पष्ट होता है कि भूमि औद्योगिक क्षैत्र के प्रयोजनार्थ प्रेषित प्रस्ताव उचित एवं सार्थक था, तथा कार्यालय जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 10.01.2003 से चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश होने से नामा0 सं0 604 दिनांक 30.01.2003 से किस्म चारागाह दर्ज रेकार्ड है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से प्रभावित होने से आवंटन योग्य नहीं है । अतः अप्रार्थी श्रीराम पुत्र मोतीलाल जाति बंजारा निवासी कसार के हक में दिनांक 20.07.2002 को ग्राम कसार स्थित खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.00 हे0 भूमि का किया गया आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा